न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
श्री विक्रम सिंह पुत्र कर्नल श्री गुमान सिह राठौड, जाति राजपुरा, निवासी थलतारा हाउस खातीपुरा जयपुर।		तहसीलदार , देलदर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

राजस्व वाद :– 5/2022

दिनांक 7/10/2022

–: निर्णय :–

यह कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट. एवं 136 एलआर एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम ओरिया में वादी की निम्नलिखित कृषि भूमि आयी हुई है :–

खसरा संख्या	रकवा
947	1–16 बीघा (0.4552 हैक्टेयर)
948	3–05 बीघा (0.8219 हैक्टेयर)
कुल कीता – 02	05–01 बीघा (1.2771 हैक्टेयर)

यह कि उक्त कृषि भूमि राजस्व भू–अभिलेख (जमाबंदी) में श्रीमती खीमी बाई पत्नि चौपा जाति राजपूत सा.देह एवं श्री दिनेश पुत्र मोतीलाल जाति अग्रवाल निवासी सदर बाजार आबूपर्वत के नाम बतौर खातेदार दर्ज है, उक्त दोनो से उपरोक्त सम्पूर्ण 5 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2008001422 दिनांक 11.9.2008 के द्वारा वादी ने क्रय की है। यह कि उपरोक्त कृषि भूमि क्रय करने के उपरांत जमाबंदी में वादी के पक्ष में नामान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को दिया गया था, परन्तु प्रतिवादी ने नामान्तरण दर्ज नही किया एवं बताया कि ग्राम ओरिया में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुम्बई के बी.ए. आर.सी. ग्रेस प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु निजी खातेदारो की कृषि भूमि 73.15 बीघा अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 16.8.2002 को जारी की गई है। इस कारण नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को समाप्त करने के निर्देश प्राप्त होने के बाद ही नामान्तरण दर्ज किया जा सकेगा। यह कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुम्बई ने दिनांक 6.8.2004 को श्री भूमि अवाप्ति अधिकारी को सूचना भिजवाई कि ग्राम ओरिया की जो उक्त भूमि अवाप्ति के लिये प्रस्तावित थी उसकी ग्रेस परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यकता नही है। अतः उक्त अवाप्ति अधिन भूमि को मुक्त करवाने की कार्यवाही करें। यह कि वादी ने वर्ष 2008 में उक्त भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के क्रय कर स्वयं के नाम नामान्तरण दर्ज करने की प्रार्थना की, उक्त भूमि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुम्बई को आवश्यकता नही होने एवं भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने की प्रार्थना करने के बावजूद एवं प्रति[illegible] नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2020 को देने एवं दिनांक 9.8.2021 को विधिक नोटिस देने [illegible] नामान्तरण दर्ज नही कर एवं खातेदारी की घोषणा नही करने से वाद प्रस्तुत किया [illegible] सम्मन जारी करे। प्रतिवादी द्वारा

हमने प्रकरण को दर्ज र[illegible] कर प्रतिवादी [illegible] जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि इस प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय , [illegible] भूमि अवाप्ति से मुक्त करवाने एवं नामान्तरकरण हेतु मार्गदर्शन श्रीमान के कार्याल[illegible] 435 दिनांक 17.05.2017 से मांगा गया था जो अभी तक अप्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.14 10:11:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं लिये गये बयानो का गहनता से अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की सुनी गई बहस पर भी मनन तथा पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य व बयानों व अन्य नये दस्तावेजो को ध्यान मे रखते हुए निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार पारित किया जाता है –

1. आया मौजा ग्राम ओरिया मे खसरा संख्या 947, 948 कुल किता 02, रकबा 05–01 बीघा (1.2771 हैक्टेयर) कृषि भूमि वादी की होने की खातेदारी की घोषणा की डिक्री ?

यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद पत्र के पद सं. 3 मे कथन किया है कि ग्राम ओरिया में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुम्बई के बी.ए.आर.सी. ग्रेस प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु निजी खातेदारो की कृषि भूमि 73.16 बीघा अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 16.08.2002 को जारी की गई है व पद स. 4 मे अकन किया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुम्बई ने दिनांक 6.8.2004 को भूमि अवाप्ति अधिकारी को सूचना भिजवाई कि ग्राम ओरिया की जो उक्त भूमि अवाप्ति के लिए प्रस्तावित थी उसकी ग्रेस परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यकता नही है, उक्त अवाप्ति अधिन भूमि को मुक्त करवाने की कार्यवाही करें।

चूंकि तहसीलदार देलदर का जवाब दावा अनुसार उक्त प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सिरोही को भूमि अवाप्ति से मुक्त करवाने एवं नामान्तरकरण हेतु मार्गदर्शन मागा गया था जो अभी तक अप्राप्त है। अतः पूर्व में मांगे गये मार्गदर्शन के अभाव में वादी के उक्त वाद को फैसल करना न्यायोचित नही होगा। नामान्तरकरण खोलना धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 136 एलआर एक्ट के अंतर्गत नही आता है। अतः यह वाद बिन्दु वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. आया मौजा ग्राम ओरिया में खसरा संख्या 947, 948 कुल कीता 02, रकबा 05–01 बीघा (1.2771 हैक्टेयर) कृषि भूमि के रेवेन्यु रेकर्ड (जमाबंदी) में वादी के नाम नामान्तरण दर्ज कर इन्द्राज करने की डिक्री ?

यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार वादी पर था। चूंकि वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। अतः यह वाद बिन्दु भी वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। अतः वादी का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू.राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

तहसीलदार देलदर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण खुलवाये जाने हेतु पेश प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही कर उसे फैसल करें।

निर्णय आज दिनांक 7.10.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.14 10:11:00 IST
Reason: SelfAttested

7.10.2022

(कनिष्क कटारिया,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Scanned with CamScanner